न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	85/2021
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2021/255
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	23.03.2021
निर्णय दिनांक	25.04.2022

उनवान

1	गोपाल पुत्र मांगू जाति जाट नि.ईरास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	महादेव पुत्र मांगू जाति जाट नि.ईरास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1	नन्दलाल पुत्र कल्याण जाट नि.ईरास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	बदामी पत्नि नन्दलाल जाट नि.ईरास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थीगण	श्री इश्तियाक अहमद शेख
उपस्थित वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 3	श्री पदमसिंह देथा ,श्री दलपतसिंह कविया पैरोकार सरकार श्री आशीष सोनी तहसीलदार आसीन्द

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

आदेश

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त रेकार्डेड खातेदारी भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थीगण की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
ईरास	2076-2079	353	1938	1.05
			1939	0.27
			1941	0.75

(2) प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] भूमि में से रास्ता चाहते है –

Signature Not Verified

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
ईरास	1940 1952	2.84 0.42	[illegible]	[illegible] 1960 से अप्रार्थीगण की आ[illegible]40 व 1952 में से रास्ता चाहा गया है।

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.18 12:44:54 IST
Reason: SelfAttested

(3) प्रार्थीगण की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघु[illegible] व निकटतम रास्ता है। इसके [illegible] अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पदमसिंह

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

देथा ने अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थना पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थीगण को दिलायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित है। भू.अ.निरीक्षक कालियास की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2022 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभय -पक्ष बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थीगण नें वक्त बहस कथन किया कि आवेदक अप्रार्थीगण की आराजियात मे कभी नही आते जाते रहे है तथा न ही मौके पर कोई रास्ता विद्यमान है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु चाही गयी भूमि के मध्य चरागाह आ.नं.1958 स्थित है किन्तु प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है तथा न ही ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण वर्तमान में अपने परिवार की खातेदारी आराजियात में से आ जा रहे है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

(6) भू.अ.निरीक्षक कालियास ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। आवेदक द्वारा रास्ते हेतु चाही गयी भूमि के मध्य आ.नं.1958 चरागाह भूमि स्थित है। आवेदक द्वारा रास्ते हेतु चाही गयी भूमि में किसी प्रकार का रास्ता ,पगडंडी के निशान मौजूद नहीं है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक कालियास / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता भू.अ.निरीक्षक कालियास की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत नहीं होकर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मध्य चरागाह भूमि आ.नं.1958 स्थित है। जिसके लिये प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है साथ ही राजस्व (ग्रुप-9) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 2(63)राज-9/2014 दिनांक 29.09.2014 के अनुसरण में क्षतिपूर्ति बाबत् कोई प्रस्ताव अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात में आने-जाने बाबत् वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं समझता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) RTA अपूर्ण होने तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने-जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.05.18 12:44:54 IST
Reason: SelfAttested